उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

संख्या : 3/2018/बी-1-438/दस-2018-231/2018

लखनऊ : दिनाँक : 24 अप्रैल, 2018

कार्यालय - ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2018-2019 के अनुदानों / भारित विनियोगों की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनाँक 30 मार्च, 2018 द्वारा विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये हैं ।

2- उक्त के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उपर्युक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनाँक 30 मार्च, 2018 के प्रस्तर-2(18) में संशोधन करते हुये निम्नवत् प्रतिस्थापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

" केन्द्र पोषित योजनाओं में प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति, योजना में केन्द्रांश की 75 प्रतिशत धनराशि व्यय होने के उपरान्त प्रशासकीय विभागों द्वारा वित्त विभाग की सहमति से जारी की जायेंगी ।

परन्तु यदि प्रशासकीय विभाग केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि एक साथ जारी किये जाने की आवश्यकता एवं औचित्य पाते हैं, तो प्राप्त केन्द्रांश एवं उसके सापेक्ष राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से जारी कर सकते हैं । "

उपरोक्त अंकित कार्यालय-ज्ञाप दिनाँक 30 मार्च, 2018 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय । शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे ।

संजीव मित्तल
प्रमुख सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त ।

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।

संख्या : 3/2018/बी-1-438(1)/दस-2018-231/2018, तददिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. **महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।**
2. **महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।**
3. **प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।**
4. **प्रमुख सचिव, विधान परिषद् / विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।**
5. **वित्त विभाग के समस्त व्यय-नियंत्रण अधिकारी / व्यय-नियंत्रण अनुभाग ।**
6. **सचिवालय के समस्त अनुभाग ।**
7. **समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8 निदेशक, प्रायोजना रचना मूल्यांकन प्रभाग, योजना भवन, लखनऊ ।

9 समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

10 समस्त वित्त नियंत्रक / मुख्य /वरिष्ठ /वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

11 गार्ड बुक ।

आज्ञा से,
राजीव श्रीवास्तव
विशेष सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।